प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ : माननीय श्री एस. आर. नायक, मुख्य न्यायाधीश

रिट याचिका क्र. 2004/2485

याचिकाकर्ता : नीरा बाई, पति स्व. राथन भोइया, व्यवसायः गृहणी, निवासी–ग्राम बेलादुला, जिलाःरायगढ़, छ०ग०

विरुद्ध

उत्तरवादीगण : 1) श्री किशन अग्रवाल, पिता अंगना राम अग्रवाल।
2) श्री राजेश कुमार, पिता श्री किशन अग्रवाल।
3) श्री विष्णु अग्रवाल, पिता श्री किशन अग्रवाल।
4) श्री विजय कुमार अग्रवाल, पिता श्री किशन अग्रवाल।

सभी का निवास–गौरीशंकर मंदिर रोड, रायगढ़, जिला–रायगढ़–छ०ग०

5)श्री मित्र भानू, पिता हरिमाली
6) शंकर, पिता घसिया माली।
7) श्री बुधू, पिता देव चरण सोरा।
8) त्रिनाथू, पिता घसिया माली।

उत्तरवादी क्र. 5 से 8 का निवास– ग्राम विजयपुर, तहसील और जिलाःरायगढ़ (छ०ग०)

9) शमादेवी, पति नरेंद्र राम टाइगर, निवासी–ग्राम अतरमुडा, जिलाः रायगढ़।
10) फिरथू सिंह, पिता लती राम गोंड, निवासी–ग्राम विजयपुर, तहसील और जिला–रायगढ़।
11) अनुविभागीय अधिकारी, रायगढ़।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12) कलेक्टर, रायगढ़।
13) राजस्व मण्डल, बिलासपुर(छ०ग०)

उपस्थिति: : याचिकाकर्ता के लिए श्री अभय तिवारी, अधिवक्ता।
: ज्य/उत्तरवादीगण क्र.11,12 और 13 के लिए श्री संजय एस. अग्रवाल, अधिवक्ता।

मौखिक आदेश

(दिनांक 8 फरवरी, 2006 को पारित)

याचिकाकर्ता नीराबाई स्वर्गीय रतन भोइया की पत्नी हैं। उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी, रायगढ़ के समक्ष एक आवेदन दिया था जिसमें दावा किया गया था कि वह भारिया–भुमिया नामक अनुसूचित जनजाति से हैं, जिसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया है। उसने आरोप लगाया कि उत्तरवादीगण क्र. 1 से 4 ने उसकी पैतृक कृषि भूमि खसरा क्र. 13,25/1 और 25/2, कुल क्षेत्रफल 1.119 हेक्टेयर, जो विजयपुर गाँव में स्थित है, उत्तरवादीगण क्र. 6 से 9 के नाम पर बिना भुगतान किये क्रय कर लिया था और इसलिए, अनुविभागीय अधिकारी, रायगढ़ को छ०ग० भूमि राजस्व संहिता, 1959 (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 170–ख के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। याचिकाकर्ता "भोइया" नामक एक जाति–समूह से संबंधित है। हमें राष्ट्रपति द्वारा जारी जनजातियों की अनुसूची में 'भोइया' शब्द नहीं मिलता है। तथापि, याचिकाकर्ता का प्रकरण यह है कि यद्यपि वह जिस जनजाति से संबंधित है उसे 'भोइया' कहा जाता है, परन्तु वह भारिया–भूमिया जनजाति से भीसंबंधित है जिसे अनुसूची में अधिसूचित किया गया है। दूसरे शब्दों में, याचिकाकर्ता के अनुसार, एक ही जनजाति को 'भोइया' के साथ–साथ 'भारिया–भुमिया' के नाम से भी जाना जाता है। अनुविभागीय अधिकारी रायगढ़ ने याचिकाकर्ता के उपरोक्त प्रकरण को स्वीकार नहीं किया और इसलिए, संहिता की

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

धारा 170–ख के तहत कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता ने अनुविभागीय अधिकारी, रायगढ़ के आदेश से व्यथित होकर संहिता की धारा 44 के तहत कलेक्टर, रायगढ़ जिला के समक्ष अपील दायर की। कलेक्टर, रायगढ़ ने यह अभिमत व्यक्त किया है कि ' भारिया – भूमिया ' जनजाति को ' भोइया ' नाम से भी जाना जाता है , तथा यह माना है कि याचिकाकर्ता द्वारा उत्तरवादियों के पक्ष में बिना भुगतान के किया गया अन्यसंक्रान्त अवैध था और तदनुसार, अपने आदेश द्वारा याचिकाकर्ता के पक्ष में विषयगत भूमि पर कब्जे की बहाली का निर्देश दिया है । विषयगत भूमि के क्रेताओं ने रायगढ़ जिले के कलेक्टर के उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर संहिता की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व मंडल के समक्ष पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की। राजस्व मंडल ने यह अभिमत व्यक्त किया कि कलेक्टर को ' भोइया ' जनजाति को ' भारिया – भूमिया ' जनजाति के समतुल्य मानने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है , इसलिए उसने कलेक्टर , जिला रायगढ़ के आदेश को अपास्त कर दिया तथा आक्षेपित आदेश द्वारा अनुविभागीय अधिकारी , रायगढ़ के आदेश की पुष्टि की । याचिकाकर्ता ने राजस्व मंडल के उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर यह रिट याचिका दायर की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2) मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि चूंकि एक ही जनजाति को 'भारिया–भुमिया' के साथ–साथ 'भोइया' के नाम से जाना जाता है, इसलिए रायगढ़ जिले के कलेक्टर ने याचिकाकर्ता और उत्तरवादीगण के बीच किए गए विक्रय–संव्यवहार को उचित रीती से रद्द किया था और याचिकाकर्ता को विषयगत भूमि की वापसी का निर्देश दिया था और इसलिए, राजस्व मण्डल को कलेक्टर, रायगढ़ जिला के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए

था। राज्य के लिए विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने , इसके विपरीत, राजस्व मंडल के आदेश का समर्थन किया।

(3) पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद, मुझे रिट याचिका में कोई गुणदोष नहीं मिलता है। यह सुस्थापित है कि राज्य प्राधिकारी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, राष्ट्रपति के आदेश की अनुसूची में किसी जाति या जनजाति को समाविष्ट नहीं कर सकते हैं । किस जाति या जनजाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की अनुसूची में सम्मिलित किया जाना चाहिए, यह संसद का अनन्य अधिकार क्षेत्र और शक्ति है। राज्य प्राधिकारियों की इसमें कोई भूमिका नहीं है। किसी प्रकरण में, यदि वे सोचते हैं कि अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की अनुसूची में सम्मिलित होने की हकदार कोई जाति या जनजाति छूट गई है, तो वे उसके सम्मिलन के लिए भारत सरकार को एक अनुशंसा भेज सकते हैं। कलेक्टर, जिला रायगढ़ ने याचिकाकर्ता को ' भारिया – भूमिया जनजाति ' से संबंधित व्यक्ति मानकर अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है। प्रकरण के उस दृष्टिकोण से, राजस्व मंडल द्वारा दिए गए आदेश में कोई आपत्ति नहीं की जा सकती। परिणामस्वरूप, रिट याचिका को रद्द की जाती है, तथापि, वाद–व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
मुख्य न्यायाधीश

जी. सिंह

= = = = 0000= = = =

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक

प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur